

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 50

दिनांक: 8-1-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम/नगरपालिका, बीकानेर, खैरथल एवं किशनगढबास में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनेल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	नगरपालिका का नाम
1.	श्री आलोक पाराशर	नगर निगम, बीकानेर
2.	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता	नगरपालिका, खैरथल जिला अलवर।
3.	श्री सूरजभान भड़ाणा पुत्र श्री उदमीराम	नगरपालिका, किशनगढबास जिला अलवर।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम/नगरपालिका, बीकानेर, खैरथल एवं किशनगढबास से देय होगा।

(उज्ज्वल शेट्टी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 8-1-2020

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 51-58

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/बीकानेर।
05. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका, बीकानेर, खैरथल एवं किशनगढबास जिला अलवर।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर निगम/नगरपालिका, बीकानेर खैरथल एवं किशनगढबास जिला अलवर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी